



## आक्षेप शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद

बुक नं. \_\_\_\_\_ पृष्ठ संख्या \_\_\_\_\_

श्री .....  
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से रुपये 2/- (दो रुपये मात्र) रुपये नकद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आक्षेप के लिए जमा राशि के रूप में प्राप्त किये।

तारीख .....  
..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
में समाविष्ट ..... विधानसभा  
निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या .....  
के लिए पीठासीन अधिकारी

## आक्षेप शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद

बुक नं. \_\_\_\_\_ पृष्ठ संख्या \_\_\_\_\_

..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें .....  
विधानसभा आती है, के मतदान केन्द्र संख्या ..... के लिए

**पीठासीन अधिकारी का कार्यालय**

श्री .....  
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से रुपये 2/- (दो रुपये मात्र) रुपये नकद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त किये।

तारीख ..... **पीठासीन अधिकारी**

सरकार के पक्ष में जब्त धन राशि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 (5) के अधीन रुपये 2/- (रुपये दो मात्र) की राशि वापस प्राप्त की।

तारीख ..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता  
का नाम और हस्ताक्षर

<sup>1</sup>[प्ररूप 12  
[नियम 19 और 20 देखिये]

## रिटर्निंग ऑफिसर को प्रज्ञापना-पत्र

प्रेषिती :-

..... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर

महोदय,

मैं ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा/लोक

सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र .....

में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली

के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्टि है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:-

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

स्थान .....

भवदीय,

दिनांक .....

.....

<sup>1</sup> अधिसूचना सं. का.आ. 3662, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>[प्ररूप 12क  
[नियम 20 (2) देखिये]

## निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

प्रेषिती :-

रिटर्निंग ऑफिसर

..... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ।

महोदय,

मैं ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से विधान

सभा/लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत स्वयं देना चाहता हूँ।

मुझे निर्वाचन-क्षेत्र में ..... (मतदान केन्द्र का संख्यांक और

नाम) में निर्वाचन-कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है किन्तु मेरा नाम .....

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की

निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्ररूप 12-ख में एक निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाण-पत्र, उस मतदान केन्द्र से जहाँ मतदान के दिन मैं कर्तव्यारूढ़ रहूँगा, मत देने के लिए दिया जाए।

यह प्रमाण-पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये:-

.....  
.....  
.....

स्थान .....

भवदीय,

दिनांक .....

.....

<sup>1</sup>[प्ररूप 12ख  
[नियम 20 (2) और 35 क देखिये]

## निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... विधान सभा/  
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है, उनका निर्वाचक नामावली संख्यांक ..... है,  
उसके निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ होने के कारण वह उस मतदान केन्द्र में, जहाँ वह मत देने का हकदार है, मत देने में असमर्थ  
है और इसलिए उसे <sup>2</sup>[उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में ] किसी भी मतदान केन्द्र में, जहाँ मतदान के दिन वह कर्तव्यारूढ़ हो, मत  
 देने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

रिटर्निंग ऑफिसर

मुद्रा

<sup>1</sup> अधिसूचना सं. का.आ. 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> अधिसूचना सं. का.आ. 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अन्तःस्थापित।

प्ररूप 8  
[नियम 12 (1) देखिये]

## निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

..... \* के लिए निर्वाचन

प्रेषिती

रिटर्निंग ऑफिसर,

में ..... जो .....

का हूँ और ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा .....  
के ..... को ऊपरिवर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन  
अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ।

स्थान .....

तारीख .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

में ऊपरिवर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहीत करता हूँ।

स्थान .....

तारीख .....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

<sup>1</sup>अनुमोदित

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

और मुद्रा

\* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए:-

- (1) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) ..... (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) ..... विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

<sup>1</sup> अधिसूचना सं. का.आ. 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अन्तःस्थापित।

## इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहचान स्लिप

लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम और संख्या .....

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या .....

मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रम संख्यांक .....

कन्ट्रोल यूनिट का क्रम संख्यांक .....

बैलेट यूनिट का क्रम संख्यांक .....

मतदान की तारीख .....

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

(रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर)

## इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहचान स्लिप

लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम और संख्या .....

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या .....

मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रम संख्यांक .....

कन्ट्रोल यूनिट का क्रम संख्यांक .....

बैलेट यूनिट का क्रम संख्यांक .....

मतदान की तारीख .....

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

(रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर)

लोक सभा/विधान सभा आम चुनाव, 201.....

निर्वाचन अभिकर्ता का पहचान-पत्र

श्री .....  
विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले  
अभ्यर्थी श्री .....  
दल .....  
के द्वारा नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ता है।

स्थान : (निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर)  
दिनांक : रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुप्रमाणित (मुहर)

लोक सभा/विधान सभा आम चुनाव, 201.....

अभ्यर्थी का पहचान-पत्र

श्री .....  
..... के निर्वाचन के लिए  
..... निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने  
वाला अभ्यर्थी है और उसे .....  
दल द्वारा खड़ा किया गया है।

स्थान : (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)  
दिनांक : रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुप्रमाणित (मुहर)

लोक सभा/विधान सभा आम चुनाव, 201.....

काउन्टिंग एजेंट

फोटो  
जिला निर्वाचन  
अधिकारी/रिटर्निंग  
ऑफिसर द्वारा  
विधिवत  
अनुप्रमाणित

मतगणना अभिकर्ता .....  
टेबिल नं. ....